न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-4 RAAJodhpur2023-1RTA223 Kishorsingh Vs Renwatsingh etc

किशोरसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह उर्फ रामूराम, जाति रावणा-राजपूत-गोयल, निवासी- विश्वकर्मानगर, देणोक, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. रेंवतसिंह पुत्र प्रेमसिंह उर्फ रामुराम
2. मेघसिंह गोद पुत्र प्रेमसिंह उर्फ रामुराम
3. इन्द्रसिंह पुत्र जेठूसिंह
4. पूनमसिंह गोद पुत्र हेमसिंह
5. अगरसिंह पुत्र जालमसिंह
6. हवाकंवर पत्नी जालमसिंह
7. नारायणसिंह पुत्र प्रेमसिंह उर्फ रामुराम
8. करणसिंह पुत्र जेठूसिंह
9. ओमसिंह पुत्र जेठूसिंह
10. विक्रमसिंह पुत्र धनसिंह
11. मूलसिंह पुत्र धनसिंह
12. भीमसिंह पुत्र धनसिंह
13. सतपालसिंह पुत्र धनसिंह
14. पुखसिंह पुत्र धनसिंह नाबालिग जरिये माता नेनूकंवर पत्नी धनसिंह

    सभी जातियान् रावणा-राजपूत-गोयल, निवासीगण-विश्वकर्मानगर, देणोक, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
15. तहसीलदार बापीणी, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व मूल वाद संख्या 38/2021 रेंवतसिंह व अन्य बनाम अगरसिंह इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित :

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट

श्री भानू, श्री अमित, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से बारह, चौदह

नि र्ण य

दिनांक : 17 जनवरी 2023

अपीलांट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अप्रैल 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 38/2021 रेंवतसिंह व अन्य बनाम अगरसिंह इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 दिसंबर 2022 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 859 रकबा 63 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 865 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 866 रकबा 53 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 868 रकबा 90 बीघा 09 बिस्वा ग्राम विश्वकर्मानगर तहसील बापीणी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 25 अप्रैल 2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंतिम डिक्री पारित कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेंट संख्या एक से बारह व चौदह की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उभय पक्ष के निवेदन एवं उनकी सहमति से रेस्पोडेंट संख्या तेरह व पन्द्रह की तामील से छूट प्रदान करते हुए तथा बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये उभय पक्ष की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विभाजन की अंतिम डिक्री में अपीलार्थी के कब्जे की भूमि को अन्य प्रत्यर्थीगण के बंट में रख दी गई है, इस कारा विभाजन प्रस्ताव एवं उस पर पारित अंतिम डिक्री विभाजन के नियम 18 से 21 की अनदेखी कर पारित की गई होने से निरस्त योग्य है। बंटवाड़ा प्रस्ताव एकपक्षीय व बिना नोटिस के तैयार किया गया होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ है। बंटवाड़ा प्रस्ताव के समय सभी सहखातेदारान् की मौके पर उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन बंटवाड़ा प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा न ही सभी पक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार किया गया है। अंतिम डिक्री में प्राथमिक डिक्री में पारित किये गये हिस्सों को बदल दिया गया है, जिससे अंतिम डिक्री प्राथमिक डिक्री की विरोधाभाषी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट के कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली का निस्तारण किया है। राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर जानकारी हुई कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बंटवाड़ा मौके के विपरीत हो गया है। इसलिए अपीलार्थी अपने अधिवक्ता के पास गया तक जानकारी हुई कि पत्रावली में फेसला हो गया। जिस पर दिनांक 08.12.2022 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 08.12.2022 को ही तैयार होकर मिल गई, जिसे पढकर सुनाये जाने पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट ने जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 25 अप्रैल 2022 को अपास्त किया जावे तथा प्रकरण विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन करते हुए मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब कर पुनः अंतिम डिक्री जारी किये जाने में सहमति प्रदान करते हुए मामला प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों के खण्डन हेतु काउंटर शपथ-पत्र पेश नहीं किया गया तथा अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये तथ्यों पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विश्वास जाहिर करते हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकंर अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.04.2022 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान् के हस्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21** की पालना सुनिश्चित नहीं की जाकर अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। दौराने बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने मामले में मौके अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 अप्रैल 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 38/2021 रेंवतसिंह व अन्य बनाम अगरसिंह इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार आउ से विधिवत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुए दोनो पक्षो की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तैयार करे तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् की सुनवाई के बाद दावे में 03 माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 02 फरवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.1.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर